



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02052026-272212  
CG-TL-E-02052026-272212

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2096]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948

No. 2096]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 19 अप्रैल, 2026

का.आ. 2177(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित ( की धारा 20ए की उप-धारा) I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में "विजयवाडा-सिकंदराबाद रेलवे लाइन पर विजयवाडा और रायनपाडु स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी.578/25-27 पर समपार फाटक सं. 150 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण", के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा) I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, एलूरु, एलूरु जिले को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, विजयवाडा, एनटीआर जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी

आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी की जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी (की उप-धारा) II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में विशेष रेलवे परियोजना, विजयवाडा-सिकंदराबद रेलवे लाइन पर विजयवाडा और रायनपाडु स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी.578/25-27 पर समपार फाटक सं. 150 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का किसी संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	एलपीएम सं.	आरएस सं.	प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़)	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	भूमि का वर्गीकरण (जीडी या जीपी)	भूमि की प्रकृति
1	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	772	218-2बी	0.074	0.0299	जीडी	शुष्क
2	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1545	304-2ए	0.537	0.2173	जीडी	शुष्क
3	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	2056	304-1ए	0.099	0.04	जीडी	शुष्क
4	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	997	-	0.002	0.0008	जीडी	शुष्क
<b>कुल</b>					<b>0.712</b>	<b>0.288</b>		
1	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	773	218-1ए1	0.25	0.102	जी-पी	रेल फ्लाई ओवर के साथ 3री रेलवे लाइन
2	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	694	219-1	0.467	0.189	जी-पी	रेल फ्लाई ओवर के साथ 3री रेलवे लाइन
3	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि		219-6	0.005	0.002		
4	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	682	220	0.002	0.0008	जी-पी	रेलवे भूमि
5	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1174	300	0.176	0.071	जी-पी	पी डब्ल्यू डी कैनल
6	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1172	301	1.215	0.491	जी-पी	पी डब्ल्यू डी कैनल
7	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1177	304-1बी	0.134	0.054	जी-पी	पी डब्ल्यू डी कैनल
8	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1040	305	0.844	0.3415	जी-पी	पुंता

9	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1042	307-1	0.512	0.207	जी-पी	बुडमेरु
10	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1701	446-1	0.027	0.01	जी-पी	पुंता
11	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1048	447	0.723	0.292	जी-पी	रेलवे भूमि
12	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1055	448-1	0.037	0.0149	जी-पी	पुंता
13	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1053	448-2	0.227	0.092	जी-पी	रेल फ्लाई ओवर के साथ 3री रेलवे लाइन
14	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1117	449-1	0.027	0.0109	जी-पी	एलएफ सड़क
15	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1056	450	0.489	0.198	जी-पी	एलएफ सड़क
16	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1052	451	0.187	0.075	जी-पी	एलएफ सड़क
17	विजयवाडा रूरल	गोल्लपूडि	1111	454-1	1.012	0.4095	जी-पी	एलएफ सड़क
कुल					<b>6.334</b>	<b>2.5606</b>		
सकल योग					<b>7.046</b>	<b>2.8486</b>		

[फा. सं. D.Con./BZA/ROB/150/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 19th April, 2026

**S.O. 2177(E).** — In exercise of the power conferred by sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which was given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Construction of ROB in lieu of LC No. 150 situated at Railway Km. 578/25-27 between Vijayawada and Rayanapadu stations on BZA–SC Railway line in NTR District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Revenue Divisional Officer, Eluru, Eluru District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority Revenue Divisional Officer, Vijayawada, NTR District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:  
Construction of ROB in lieu of LC No. 150 situated at Railway Km. 578/25-27 between Vijayawada and Rayanapadu  
stations on BZA–SC Railway line in NTR District in the state of Andhra Pradesh.

Sl.No	Name of Mandal	Name of Village	LPM No	RS No	Proposed Extent in LA in Acres	Proposed Extent in LA in Hectares	Type of Land (GD or GP)	Nature of Land
1	Vijayawada Rural	Gollapudi	772	218-2B	0.074	0.0299	GD	Dry
2	Vijayawada Rural	Gollapudi	1545	304-2A	0.537	0.2173	GD	Dry
3	Vijayawada Rural	Gollapudi	2056	304-1A	0.099	0.04	GD	Dry
4	Vijayawada Rural	Gollapudi	997	-	0.002	0.0008	GD	Dry
<b>Total</b>					<b>0.712</b>	<b>0.288</b>		
1	Vijayawada Rural	Gollapudi	773	218-1A1	0.25	0.102	G-P	3rd Railway line with rail fly over
2	Vijayawada Rural	Gollapudi	694	219-1	0.467	0.189	G-P	3rd Railway line with rail fly over
3	Vijayawada Rural	Gollapudi		219-6	0.005	0.002		
4	Vijayawada Rural	Gollapudi	682	220	0.002	0.0008	G-P	Railway land
5	Vijayawada Rural	Gollapudi	1174	300	0.176	0.071	G-P	P.W.D Canal
6	Vijayawada Rural	Gollapudi	1172	301	1.215	0.491	G-P	P.W.D Canal
7	Vijayawada Rural	Gollapudi	1177	304-1B	0.134	0.054	G-P	P.W.D Canal
8	Vijayawada Rural	Gollapudi	1040	305	0.844	0.3415	G-P	Puntha
9	Vijayawada Rural	Gollapudi	1042	307-1	0.512	0.207	G-P	Budameru
10	Vijayawada Rural	Gollapudi	1701	446-1	0.027	0.01	G-P	Puntha
11	Vijayawada Rural	Gollapudi	1048	447	0.723	0.292	G-P	Railway land
12	Vijayawada Rural	Gollapudi	1055	448-1	0.037	0.0149	G-P	Puntha
13	Vijayawada Rural	Gollapudi	1053	448-2	0.227	0.092	G-P	3rd Railway line with rail fly over
14	Vijayawada Rural	Gollapudi	1117	449-1	0.027	0.0109	G-P	LF Road
15	Vijayawada Rural	Gollapudi	1056	450	0.489	0.198	G-P	LF Road
16	Vijayawada Rural	Gollapudi	1052	451	0.187	0.075	G-P	LF Road
17	Vijayawada Rural	Gollapudi	1111	454-1	1.012	0.4095	G-P	LF Road
<b>Total</b>					<b>6.334</b>	<b>2.5606</b>		
<b>Grand Total</b>					<b>7.046</b>	<b>2.8486</b>		

[F. No. D.Con./BZA/ROB/150/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV